कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-23343 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2022-23/

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, 22-पार्क रोड, लखनऊ।

दिनांक मार्च, 10, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मदिरा की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन तथा थोक मांग आपूर्तकों का चयन ई-टेण्डर के माध्यम से कराये जाने के सम्बंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति संख्या 23342 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2022-23 दिनांक 10-3-2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त विज्ञप्ति की एम0एस0 वर्ड फाइल एवं पी0डी0एफ0 फार्मेट की फाइल पैन ड्राइव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है तथा आज दिनांक 10.3.2022 को इन फाइलों को आपके विभाग के ई-मेल upsoochna@gmail.com पर भी प्रेषित कर दिया गया है।

उक्त विज्ञप्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर से संबंधित है। अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 12.3.2022 के पूर्व सभी प्रमुख समाचार पत्रों के प्रदेश के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सेंथिल पांडियन सी0)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 23344 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2022-23/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि सहायक आबकारी आयुक्त (टास्कफोर्स)/वेब मास्टर को विज्ञप्ति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseportal.in के होमपेज पर अपलोड एवं प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

(सेंथिल पांडियन सी0)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

CY-1

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या–23342/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2022–23/प्रयागराज/दिनांक,मार्च, 10 / . 2022

विज्ञप्ति

आबकारी दुकानों की नवीनीकरण प्रक्रिया के पश्चात अव्यवस्थित अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की ई–लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराये जाने सम्बन्धी समय सारणी :–

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों की ई–लाटरी की समय सारिणी

क्रमांक	प्रथम चरण	दिनांक
1	ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि व समय	12.03.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से
2	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	18.03.2022 सायं 5:00 बजे तक
3	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	20.03.2022 को सायं 5:00 बजे तक
4	प्रथम चरण की ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	22.03.2022 को प्रातः 11:00 बजे से समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
5	प्रथम चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय	25.03.2022 को सायं 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण की ई–लाटरी की समय सारिणी

क्रमांक	द्वितीय चरण	दिनांक
1	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु मार्किंग की तिथि व समय	25.03.2022 को रात्रि 12:00 बजे तक
2	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि व समय	27.03.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से
3	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	29.03.2022 सायं 5:00 बजे तक
4	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	30.03.2022 को सायं 5:00 बजे तक
5	द्वितीय चरण की ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	01.04.2022 को प्रातः 12:30 बजे से समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
6	द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय	05.04.2022 को सायं 5:00 बजे तक

थोक भांग आपूर्तकों के चयन हेतु ई–टेण्डर प्रकिया की समय सारिणी:–

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई–टेण्डर प्राप्त करने की अवधि	दिनांक 14.03.2022 (प्रातः 11:00 बजे) से 23.03.2022 (मध्यान्ह 12:00 बजे तक)
2	भांग की थोक आपूर्ति हेतु प्राप्त ई–टेण्डरों की तकनीकी बिड खोलने की तिथि	23.03.2022 (अपरान्ह 2:00) बजे
3	भांग की थोक आपूर्ति हेतु प्राप्त ई–टेण्डरों की वित्तीय बिड खोलने की तिथि	23.03.2022 (अपरान्ह 6:00) बजे

(सेंथिल पांडियन सी०)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- 23345 /दो-380(57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आपूर्ति/ई-टेण्डर/2022-23/दिनांक प्रयागराज: मार्च, 10 ,2022

ई-टेण्डर नोटिस

(वर्ष 2022-23 में मांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर)

वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश के विभिन्न प्रभारों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में मांग की थोक आपूर्ति हेतु टू बिड सिस्टम पर NIC के वेब पोर्टल www.etender.up.nic.in के माध्यम से ई निविदा आमंत्रित की जाती है। लखनऊ प्रभार को तीन हिस्सों 1-लखनऊ प्रभार-क (मात्र जनपद रायबरेली) 2-लखनऊ प्रभार-ख (मात्र जनपद लखनऊ) 3-लखनऊ प्रभार-ग (जनपद उन्नाव, हरदोई, सीतापुर व खीरी) के रूप में विभाजित किया गया है, अतः इन तीनों हिस्सों को अलग-अलग प्रभार मानते हुये इन पर पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित की जाती है। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो प्रभारों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए मांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक टेण्डर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक ई-टेण्डर के साथ रूपया 10,000/- (दस हजार) की धरोहर धनराशि का शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/डाकखाने के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 के पदनाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में इसकी पीडीएफ स्कैन्ड फाइल अपलोड की जायेगी तथा उसकी मूलप्रति कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में तकनीकी बिड टेण्डर खुलने से पूर्व जमा करनी होगी। ई-टेण्डर में प्रतिभाग करने के लिये आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

ई-टेण्डर स्वीकृति की सूचना मिलने पर ई-टेण्डरदाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तों के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रूपया 25,000/- (पच्चीस हजार) धनराशि की किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद नाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कर प्रपत्र आई0डी0-3 में अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

1- निविदादाता द्वारा आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रूपया 1,00,000/- (एक लाख) का बैलेंस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंग्स एकाउन्ट के पास-बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की प्रति को ई-टेण्डर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा।

2- अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व अहेयता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

3- राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण अपलोड करना होगा।

4- रूपया 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

5- धरोहर धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि) अपलोड करना होगा।

6- वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड करना होगा।

7- वर्ष 2021-22 के जिन थोक मांग आपूर्तकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट मांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है, जो संतोषजनक है। अन्यथा की स्थिति में आपूर्तक इस आशय का एक शपथ-पत्र ई-टेण्डर के साथ प्रस्तुत करेगा कि वह यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त मांग की आपूर्ति संबंधित जनपद को 28.02.2022 तक कर देगा।

8- वर्ष 2022-23 के लिए चयनित आवेदक को आई0डी0-3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षों में जमा प्रतिभूति को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रूपया 25,000/-(पच्चीस हजार) की सावधि जमा रसीद अपलोड करना होगा।

ई-टेण्डर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है:-

Tender Publish Date on Website www. etender.up.nic.in	14.03.2022
Documents Download Start Date	14.03.2022 :: 11.00AM
Clarification Start Date	14.03.2022
Prebid Conference	21.03.2022 :: 11.00AM
Clarification End Date	22.03.2022
Documents Download and Submission End Date	23.03.2022 :: 12.00Noon
Technical Bid Opening Date	23.03.2022 :: 2.00PM
Financial Bid Opening Date	23.03.2022 :: 6.00PM

आई0डी0-2 प्रपत्र फाइनेंशियल बिड के अन्तर्गत तथा अन्य समस्त अभिलेख (बिन्दु 1 से 7 के अनुसार) तकनीकी बिड के अन्तर्गत अपलोड किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दें।

प्राप्त ई-टेण्डर की टेक्निकल बिड दिनांक 23-03-2022 को ही अपरान्ह 02 बजे तक और फाइनेंशियल बिड अपरान्ह 06:00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के समक्ष कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में खोले जायेंगे एवं प्री-बिड कान्फ्रेंस भी इसी स्थान पर आयोजित होगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए थोक मांग आपूर्ति हेतु प्रभारवार, अधिकतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

प्रभार का नाम	वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित अधिकतम थोक मांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रु0 में)
1- आगरा, अलीगढ़ झांसी एवं मीरजापुर प्रभार के जनपदों के लिए	21/-
2- प्रयागराज एवं चित्रकूटधाम प्रभार के जनपदों के लिए	20/-
3- प्रदेश के शेष प्रभारों के जनपदों के लिए	19/-

(सेंथिल पांडियन सी0)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

आई0डी0—1

(नियम—931)

सूचना

<u>भांग की थोक आपूर्ति के ठेके के लिए निविदा की शर्ते</u>

इस सूचना के द्वारा भारत में स्थित किसी व्यवसायिक संस्था या व्यक्ति से 01—04—2022 से 31—03—2023 तक के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित भांग गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति देने का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधों के अन्तर्गत निविदा (टेण्डर) <u>संलग्नक—1</u> में अंकित प्रभार के लिए अलग—अलग आमंत्रित किये जाते है। लखनऊ प्रभार को तीन हिस्सों 1— लखनऊ प्रभार—क (मात्र जनपद रायबरेली) 2— लखनऊ प्रभार—ख (मात्र जनपद लखनऊ) 3—2— लखनऊ प्रभार—ग (जनपद उन्नाव, हरदोई, सीतापुर व खीरी) के रूप में विभाजित किया गया है, अतः इन तीनो हिस्सो को अलग—अलग प्रभार मानते हुये इन पर पृथक—पृथक निविदा आमंत्रित की जाती है। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो प्रभारों में स्थित वांछित आबकारी गोदामों के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक टेण्डर प्रस्तुत किया जा सकता है। टेण्डर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में रू0 10000/— (दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त धरोहर की राशि किसी शिड्यूल बैंक के फिक्सड डिपाजिट/नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पद नाम से प्रतिश्रुत (प्लेज्ड) हो, के रूप में भी दी जा सकती है। धरोहर धनराशि जमा करने के प्रमाण स्वरुप बैंक ड्राफ्ट अथवा अन्य अभिलेख की छायाप्रति ई—टेण्डर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड करना आवश्यक होगा तथा उसकी मूलप्रति कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में टेण्डर खुलने से पूर्व जमा करनी होगी।

<u>प्रतिबंध</u> :—

(1) निविदा—पत्र के साथ निविदाकर्ता को स्व प्रमाणित अपने पैन कार्ड की छाया प्रति, वर्ष 2020—21 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति तथा आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड करना आवश्यक है।

(2) टेण्डरदाता टेण्डर के साथ अपने निवास जनपद के जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा कि उसका चरित्र अच्छा है, और वह आबकारी अपराधों में दण्डित नहीं है तथा उसके ऊपर आबकारी देयों का कोई बकाया नहीं है।

(3) भांग स्वतः उगी हुई होगी और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर,खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, रामपुर, मुरादाबाद, रायबरेली जिलों में से किसी भी जिले से प्राप्त की जा सकती है। भांग सर्वोत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए।

(4) निविदा में भांग का प्रति किलोग्राम मूल्य, जिस पर कि निविदा देने वाला अपने क्षेत्र में आबकारी गोदामों पर आपूर्ति देने को तैयार है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इस मूल्य में प्रतिफल फीस सम्मिलित नहीं होगी। आबकारी गोदामों की स्थिति संलग्नक–1 के चौथे स्तम्भ में दी गयी है।

एक ठेके के क्षेत्र में सभी गोदामों पर मूल्य एक समान होगा। भांग के कलेक्शन,संचय व परिवहन की प्रचलित दरों के आधार पर आपूर्ति की कुल लागत, जो वित्तीय **वर्ष 2022–23** हेतु वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, सहारनपुर, कानपुर, मेरठ व आजमगढ़ चार्ज के गोदामों के लिए **रूपया 19/– प्रति किलोग्राम** एवं इलाहाबाद व चित्रकूटधाम चार्ज के लिए **रूपया 20/– प्रति किलोग्राम** एवं आगरा, अलीगढ़ झांसी व मिर्जापुर चार्ज के लिए **रूपया 24/– प्रति किलोग्राम** क्रमशः निर्धारित की गयी है, से अधिक दर का टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) प्रतिफल फीस की प्रचलित दर के संबंध में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उसे ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य किसी भी समय आवश्यकतानुसार इसे घटा/बढ़ा सकती है। भांग के वित्तीय **वर्ष 2022–23** के एम0जी0क्यू0 के आकड़े **संलग्नक–2** में प्रत्येक जिले के नाम के सामने अंकित है, किन्तु थोक भांग आपूर्तक को अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित गोदामों में उनके मांग के अनुसार भांग की आपूर्ति करनी होगी। **थोक आपूर्तक को अपने निविदा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले एल–1/पार्ट टाइम एल–1 तथा एफ0एल0–49 के पूर्व–अनुज्ञापनों अथवा भविष्य में इन अनुज्ञापनों के समकक्ष जारी होने वाले अनुज्ञापनों को आवंटित कोटे की मात्रा की आपूर्ति करना भी आवश्यक होगा।** सरकार भांग की निकासी की किसी निश्चित मात्रा का आश्वासन नहीं देती है, और यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि नशाबन्दी या तत्सम्बन्धित प्रसार से ठेकेदार को अपने व्यवसाय में होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी न होते हुए मादक द्रव्यों की बिक्री की दुकानों की संख्या कम कर दें, निकासी पर रोक लगा दें या किसी ठेके के क्षेत्र में या उसके किसी भाग में मादक द्रव्यों के विक्रय या रक्षण पर अपने विवेकानुसार प्रतिबन्ध लगा दें और सरकार अपने अधिकार सुरक्षित रखती है कि मादक द्रव्य के ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य में क्रय मूल्य अथवा प्रतिभूति धनराशि का पुनर्निर्धारण कर दें।

(6) आबकारी बंधित गोदाम (संलग्नक–1) में दिये गये स्थानों पर स्थित है, किन्तु सरकार ठेके की अवधि में नये गोदाम खोलने और पुराना बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। थोक आपूर्तक अपने क्षेत्र में सभी गोदामों में समय–समय पर सरकार की आज्ञानुसार भांग रखने, संचय करने तथा निकासी देने के लिए बाध्य होगा। भांग रखने, तौलने तथा निकासी देने की सभी वस्तुएं आपूर्तक द्वारा दी जायेगी। नगरीय निकाय में स्थित गोदाम सम्बन्धी समस्त कर आपूर्तक देगा।

(7) मादक द्रव्यों की समुचित अभिरक्षा के लिए थोक आपूर्तक बंधित आबकारी गोदाम पर स्वतंत्र रूप से वेतन देकर चौकीदार रखेगा। गोदाम में किसी प्रकार

की क्षति होने पर उसकी पूर्ति करने का उत्तरदायित्व थोक आपूर्तिकर्ता ठेकेदार पर होगा।

(8) जहाँ सरकार द्वारा दिये हुए आबकारी बंधित गोदामों में पर्याप्त मात्रा में भांग रखने के लिए समुचित स्थान नहीं है, अथवा राजकीय गोदाम नहीं है, वहाँ ठेकेदार को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने व्यय पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृत भवन और स्थान पर इस उद्देश्य के लिए गोदाम रखने पड़ेंगें।

(9) उपरोक्त प्रस्तर–6 के अनुसार बंधित गोदामों को दी हुई वस्तुएं आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। यदि ठेके की अवधि की समाप्ति पर ठेका पुराने ठेकेदार को नहीं मिलता है तो नये ठेकेदार को, यदि पुराना ठेकेदार चाहे तो, उसकी समस्त वस्तुओं को क्रय करना होगा और इस संबंध में कोई विवाद उठने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। नया ठेकेदार निर्णय के एक मास के भीतर निर्णीत मूल्य देने के लिए बाध्य होगा अन्यथा उसका ठेका रद्द किया जा सकता है और आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 पुराने ठेकेदार को दिया जाने वाला मूल्य नये ठेकेदार के खाते में किसी सरकारी खजाने में जमा किसी भी धन से काटकर दे सकते है।

(10) गोदामों के सभी कार्य सरकारी देख–रेख में होंगे और इस हेतु सरकारी स्टाफ का व्यय सरकार वहन करेगी।

(11) निविदा (टेण्डर) प्रारूप आई0डी0–2 (संलग्नक–3) को ई–टेण्डर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in के फाइनेंशियल बिड के अन्तर्गत "बिल आफ क्वान्टिटी" से डाउनलोड किया जायेगा एवं फाइनेंशियल कवर के अन्तर्गत "बिल आफ क्वान्टिटी" में अपलोड किया जायेगा। टेण्डर दिनांक 23–03–2022 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक भरा जा सकता है। प्राप्त ई–टेण्डर की टेक्निकल बिड उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे तथा फाइनेंशियल बिड सायंकाल 6.00 बजे टेण्डरदाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों द्वारा खोला जायेगा।

(12) आबकारी आयुक्त का यह सुरक्षित अधिकार है कि वह जनहित में सर्वाधिक लाभप्रद निविदा को स्वीकार करें, तथा अन्य प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करें।

(13) उन व्यक्तियों या संस्थाओं को, जिनके निविदा स्वीकार किये गये है, के लिये यह आवश्यक होगा कि निर्णय की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दिये गये ठेके के उचित निर्वाह के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से निर्गत रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार) की धनराशि की सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करे।

(14) भांग के थोक आपूर्तक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र संलग्नक–4 है, जिस पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा।

(15) बिना आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 की पूर्व स्वीकृति के ठेकेदार न तो किसी व्यक्ति को साझे में ले सकता है और न अपने ठेके को हस्तान्तरित कर सकता है।

(16) निविदा के साथ निविदा देने वाले को प्रचलित वर्ष में या विगत वर्ष में यदि उसके पास कोई आबकारी ठेका था, तो उसका पूर्ण विवरण देना चाहिए ताकि अधिकारियों को उसकी आर्थिक स्थिति का समुचित ज्ञान हो जाये। निविदा देने वाले को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह किसी और दिये गये निविदा में अथवा किसी और क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले निविदा में भी स्वार्थ रखता है। ठेकेदार अपने ठेके के क्षेत्र की फुटकर बिकी की किसी दुकान में किसी प्रकार का हिस्सा अथवा स्वार्थ नहीं रखेगा।

(17) टेण्डर स्वीकृत होने की दशा में आपूर्तक को निर्धारित संचय केन्द्रों पर सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें भांग के भण्डारण/तौल आदि के लिए पर्याप्त स्थान चारदीवारी अथवा कांटेदार तार से घिरा स्थान उपलब्ध हो।

(18) चयनित आपूर्तक द्वारा उसको आवंटित प्रभार में जनपदवार भांग के सम्पूर्ण वार्षिक कोटे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। किसी प्रभार/जनपद हेतु आपूर्तक उपलब्ध न होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त अपने विवेकानुसार प्रदेश के अन्य आपूर्तकों को उस जनपद के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की आपूर्ति करने हेतु आदेशित कर सकते हैं।

(19) आबकारी आयुक्त आपूर्ति की अवधि के सम्बन्ध में निविदा स्वीकृत होने के पूर्व अथवा मध्य सत्र में भी आवश्यकतानुसार निर्देश जारी कर सकते है।

(20) निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगाः—

1. निविदादाता द्वारा आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रूपया 1,00,000/— (एक लाख) का बैलेंस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंग्स एकाउन्ट के पास—बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की प्रति को ई—टेण्डर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा।
2. अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
3. राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण अपलोड करना होगा।
4. रूपया 10/— के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
5. धरोहर धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि) अपलोड करना होगा।
6. वर्ष 2020—21 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड करना होगा।
7. वर्ष 2021—22 के जिन थोक भांग आपूर्तकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट भांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है, जो संतोषजनक है।

8. वर्ष 2022—23 के लिए चयनित आवेदक को आई0डी0—3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षो में जमा प्रतिभूति को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रूपया 25,000/—(पचीस हजार) की सावधि जमा रसीद अपलोड करना होगा।

टिप्पणी

यदि निविदा देने वालों द्वारा प्रस्तुत इस निविदा का अन्य किसी निविदा में सम्बन्धित विवरण असत्य सिद्ध हुआ तो ठेका रद्द किया जा सकता है और जमानत की धनराशि समपहृत की जा सकती है। थोक भांग आपूर्तक नियुक्त किये जाने के बाद यदि कोई टेण्डरवाला थोक भांग आपूर्ति का अनुज्ञा—पत्र (आई0डी0—3) इस कार्यालय से समयान्तर्गत नहीं प्राप्त करता है तो टेण्डर के साथ उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर की राशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी।

निविदा देने वाले को सावधान किया जाता है कि वह बिल्कुल मनगढ़न्त दरों पर सट्टेबाजी की भावना से निविदा पत्र प्रस्तुत न करें। ठेके की अवधि में दर के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(सेंथिल पांडियन सी0)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।